[राज्य सभा द्वारा 18 मार्च, 2020 को पारित रूप में]

2019 का विधेयक संख्यांक 2-सी

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2020

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

3. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन ।
4. आयोग की संरचना ।
5. अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोज समिति ।
6. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।
7. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना ।
8. आयोग के सचिव, विशेषज्ञों, वृत्तिकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति ।
9. आयोग की बैठकें ।
10. आयोग की शक्ति और कृत्य ।

अध्याय 3

होम्योपैथी सलाहकारी परिषद्

11. होम्योपैथी सलाहकारी परिषद् का गठन और संरचना ।
12. होम्योपैथी के लिए सलाहकारी परिषद् के कृत्य ।
13. होम्योपैथी सलाहकारी परिषद की बैठकें ।

अध्याय 4

राष्ट्रीय परीक्षा

14. राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा ।
15. राष्ट्रीय निकास परीक्षा ।
16. स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा ।
17. होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा ।

अध्याय 5

स्वायत्त बोर्ड

18. स्वायत्त बोर्ड का गठन ।
19. स्वायत्त बोर्डों की सरंचना ।
20. अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोज समिति ।

खंड

21. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।

22. विशेषज्ञों की सलाहकार समिति ।

23. स्वायत्त बोर्डों के कर्मचारिवृन्द ।

24. स्वायत्त बोर्डों की बैठकें ।

25. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

26. होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

27. होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

28. होम्योपैथी चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

29. नई चिकित्सा संस्था स्थापित करने के लिए अनुज्ञा ।

30. स्कीम का अनुमोदन या अननुमोदन करने के लिए मानदंड ।

31. राज्य चिकित्सा परिषद् ।

32. होम्योपैथी का राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर ।

33. राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित किए जाने वाले व्यक्तियों के अधिकार और उनके संबंधित में उनकी बाध्यताएं ।

34. व्यक्तियों का व्यवसाय करने का अधिकार ।

अध्याय 6

होम्योपैथी की अर्हताओं की मान्यता

35. भारत में विश्वविद्यालयों या चिकित्सा संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई अर्हताओं की मान्यता ।

36. भारत के बाहर चिकित्सा संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता ।

37. अर्हता की मान्यता वापस लेना या मान्यता समाप्त करना ।

38. अर्हताओं की मान्यता के लिए कतिपय मामलों में विशेष उपबंध ।

अध्याय 7

अनुदान, संपरीक्षा और लेखा

39. केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

40. होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग निधि ।

41. संपरीक्षा और लेखा ।

42. विवरणियों और रिपोर्टों का केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाना ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

43. केंद्रीय सरकार की आयोग और स्वायत्त बोर्डों को निदेश देने की शक्ति ।

44. केंद्रीय सरकार की राज्य सरकारों को निदेश देने की शक्ति ।

45. आयोग द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी और उसका प्रकाशन ।

46. विश्वविद्यालयों और चिकित्सा संस्थाओं की बाध्यताएं ।

47. चिकित्सा संस्थाओं में अध्ययन पाठ्यक्रम का पूरा किया जाना ।

खंड

48. आयोग और स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों का लोक सेवक होना ।

49. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

50. अपराधों का संज्ञान ।

51. केंद्रीय सरकार की आयोग को अधिक्रांत करने की शक्ति ।

52. आयोग, राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग, राष्ट्रीय योगा और प्राकृतिक चिकित्सा आयोग और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की संयुक्त बैठकें ।

53. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आरंभिक स्वास्थ्य देख-रेख का संवर्धन किया जाना ।

54. नियम बनाने की शक्ति ।

55. विनियम बनाने की शक्ति ।

56. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

57. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

58. निरसन और व्यावृत्ति ।

59. संक्रमणकालीन उपबंध ।

[राज्य सभा द्वारा 18 मार्च, 2020 को पारित रूप में]

2019 का विधेयक संख्यांक 2-सी

[दि नेशनल कमीशन फार हैम्योपैथी बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2020

ऐसी चिकित्सा शिक्षा पद्धति के लिए, जो भारत के सभी भागों में क्वालिटी और सस्ती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच का सुधार करती है; जो पर्याप्त और उचित क्वालिटी के होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसायियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है ; जो ऐसी साम्यपूर्ण और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देख-रेख का संवर्धन करती है जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा मिलता है और सभी नागरिकों के लिए होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसायियों की सेवाओं को सुगम्य और वहन करने योग्य बनाती है; जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्यों का संवर्धन करती है; होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसायियों को उनके कार्य में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अंगीकृत करने और अनुसंधान में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करती है; जिसका लक्ष्य चिकित्सीय संस्थाओं का आवधिक और पारदर्शी रुप से मूल्यांकन करना है और जो भारत के लिए होम्योपैथी चिकित्सा रजिस्टर के रख-रखाव को सुकर बनाती है तथा चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में सभी नैतिक मानकों को प्रवृत्त करती है; जो परिवर्तनशील आवश्यकताओं के प्रति अनुकूल होने के लिए नमनीय है और प्रभावी शिकायत समाधान तंत्र को रखती है तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि यह उस उपबंध के प्रवृत्त होने प्रति निर्देश है ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "स्वायत्त बोर्ड" से धारा 18 के अधीन स्वायत्त बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) "होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड" से धारा 18 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "अध्यक्ष" से धारा 5 के अधीन नियुक्त राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अभिप्रेत है ;

(ङ) "परिषद्" से धारा 11 के अधीन गठित सलाहकार परिषद् अभिप्रेत है ;

(च) "होम्योपैथी" से होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान प्रणाली अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत जैव रसायन उपचार का उपयोग जो ऐसे आधुनिक अभिदाय, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास द्वारा अनुपूरित है जैसा कि आयोग, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से समय-समय पर अधिसूचना द्वारा घोषणा करता है ;

(छ) "होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड" से धारा 18 के अधीन होम्योपैथी शिक्षा के लिए गठित बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ज) "अनुज्ञप्ति" से धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन अनुदत्त होम्योपैथी का व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;

(झ) "होम्योपैथी चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड" से धारा 18 के अधीन गठित चिकित्सा संस्थाओं का मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ञ) "चिकित्सा संस्था" से भारत के भीतर या उसके बाहर कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो होम्योपैथी में उपाधियां, डिप्लोमा या अनुज्ञप्तियां प्रदान करती है और इसके अंतर्गत सहबद्ध महाविद्यालय और सम विश्वविद्यालय भी हैं ;

(ट) "सदस्य" से धारा 5 के अधीन नियुक्त आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष भी है ;

(ठ) "राष्ट्रीय रजिस्टर" से धारा 31 के अधीन होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा रखा गया राष्ट्रीय होम्योपैथी चिकित्सा रजिस्टर अभिप्रेत

है ;

(ङ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ढ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ण) "प्रधान" से धारा 20 के अधीन नियुक्त स्वायत्त बोर्ड का प्रधान अभिप्रेत है;

(त) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाया गया अधिनियम अभिप्रेत है ;

(थ) "राज्य चिकित्सा परिषद्" से होम्योपैथी के व्यवसाय और व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने के लिए किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद् अभिप्रेत है ;

(द) "राज्य रजिस्टर" से होम्योपैथी के व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रखे गए होम्योपैथी के लिए राज्य रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(ध) "विश्वविद्यालय" का वही अर्थ होगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में उसका है और इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विश्वविद्यालय भी है ।

1956 का 3

अध्याय 2

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन ।

3. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और उसको समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए अधिसूचना द्वारा एक आयोग का गठन करेगी जो राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के नाम से ज्ञात होगा ।

(2) आयोग, उपरोक्त नाम का एक शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा और उसे चल और अचल संपत्ति दोनों का ही अर्जन, धारण और व्ययन करने की संविदा करने के लिए शक्ति प्राप्त होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

आयोग की संरचना ।

4. (1) आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) अध्यक्ष ;

(ख) सात पदेन सदस्य ; और

(ग) उन्नीस अंशकालिक सदस्य ।

(2) अध्यक्ष, उत्कृष्ट योग्यता, साबित प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा, जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से होम्योपैथी में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो और होम्योपैथी के क्षेत्र में कम से कम बीस वर्ष का अनुभव रखता हो जिसमें से कम से कम दस वर्ष स्वास्थ्य देख-रेख परिदान, होम्योपैथी का विकास और

उन्नति या इसकी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में अनुभव भी रखता हो ।

(3) निम्नलिखित व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :–

(क) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष ;

(ख) होम्योपैथी चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड का अध्यक्ष ;

(ग) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड का अध्यक्ष ;

(घ) आयुष मंत्रालय में भारत सरकार का होम्योपैथी का भारसाधक, भारत सरकार का सलाहकार (होम्योपैथी) या संयुक्त सचिव ;

(ङ) निदेशक, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता ;

(च) निदेशक, पूर्वोत्तर आयुर्वेदिक और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग ;

(छ) महानिदेशक, केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्, जनकपुरी, नई दिल्ली ।

(4) निम्नलिखित व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग के अंशकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :–

(क) योग्यता, सत्यनिष्ठा और अनुभव वाले ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाने वाले तीन सदस्य वे होंगे जो होम्योपैथी, प्रबंध, विधि, स्वास्थ्य अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और वृतिक अनुभव रखते हों ;

(ख) सलाहकारी परिषद् में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नामनिर्देशितियों में से चक्राणुक्रम आधार पर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाने वाले दस व्यक्ति ;

(ग) सलाहकारी परिषद् की धारा 11 की उपधारा 2 के खंड घ के अधीन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रो के नामनिर्देशितियों में से ऐसी रीति में जो विहित की जाए, दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाने वाले छह सदस्य :

परंतु कोई सदस्य या तो स्वयं या अपने कुटुम्ब सदस्यों में से किसी सदस्य के माध्यम से किसी प्राइवेट या गैर-सरकारी चिकित्सा संस्था, जो इस अधिनियम के अधीन विनियमित है, के प्रबंधन निकाय का स्वामी नहीं होगा या उसके साथ सहयुक्त नहीं होगा या उसके साथ कोई व्यौहार नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा और धारा 19 के प्रयोजनों के लिए "अग्रणी" पद से कोई विभागाध्यक्ष या किसी संगठन का अध्यक्ष अभिप्रेत है ।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोज समिति ।

5. (1) केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित से मिलकर बनी खोज समिति की सिफारिश पर धारा 4 में निर्दिष्ट अध्यक्ष और धारा 20 में निर्दिष्ट स्वायत्त बोर्डों के प्रधान की नियुक्ति करेगी,–

(क) मंत्रिमंडल सचिव – अध्यक्ष ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशेषज्ञ, जिनके पास होम्योपैथी के क्षेत्र में उत्कृष्ट अर्हताएं और कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव हो – सदस्य ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट सदस्यों में से, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विशेषज्ञ – सदस्य ;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक ऐसा व्यक्ति, जो उत्कृष्ट अर्हताएं और स्वास्थ्य अनुसंधान प्रबंधन, विधि, अर्थशास्त्र, विज्ञान या प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखता हो – सदस्य ;

(ङ) आयुष का भारसाधक सचिव, भारत सरकार, संयोजक – सदस्य :

परन्तु यह कि धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क) में निर्दिष्ट आयोग के अंशकालिक सदस्यों, धारा 8 में निर्दिष्ट सचिव और धारा 20 में निर्दिष्ट स्वायत्त बोर्डों के अन्य सदस्यों के चयन के लिए खोज समिति खंड (ख) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों और संयोजक सदस्य के रूप में भारत सरकार आयुष मंत्रालय के सचिव से मिलकर बनेगी और इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाएगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, किसी रिक्ति के होने, जिसके अन्तर्गत, अध्यक्ष या सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण हुई रिक्ति भी है, की तारीख से एक मास के भीतर या अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व तीन मास के भीतर रिक्ति को भरने के लिए खोज समिति को निर्देश करेगी ।

(3) खोज समिति उसको निर्दिष्ट प्रत्येक रिक्ति के लिए कम से कम तीन नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी ।

(4) आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पूर्व, खोज समिति स्वयं का यह समाधान करेगी कि ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं रखता है जिससे अध्यक्ष या सदस्य के उस रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(5) अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति केवल खोज समिति में सदस्य की किसी रिक्ति या उपस्थिति के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

(6) उपधारा (2) से उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खोज समिति अपनी ही प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी ।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।

6. (1) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य (पदेन सदस्यों से भिन्न) चार वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पदधारण करेंगे और किसी विस्तार या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे :

परंतु ऐसा व्यक्ति सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पदधारण नहीं करेगा ।

(2) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी, जब तक वह उस आधार पर, जिसका वह सदस्य है, पदधारण करता है ।

(3) जहां पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य आयोग के क्रमिक साधारण अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है और ऐसी अनुपस्थिति का कारण आयोग की राय में किसी वैध कारण के लिए नहीं होना पाया जाता है तो ऐसे सदस्य के बारे में यह समझा

जाएगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है ।

(4) अध्यक्ष और पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य को संदेय वेतन तथा भत्ते और उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(5) अध्यक्ष या सदस्य–

(क) केन्द्रीय सरकार को कम से कम तीन मास की लिखित में सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा ;या

(ख) धारा 7 के उपबंधों के अनुसार उसे पद से हटाया जा सकेगा :

परंतु ऐसा व्यक्ति तीन मास से पहले कर्तव्यों से कार्य मुक्त किया जा सकेगा या तीन मास से आगे उत्तरवर्ती नियुक्त किए जाने तक, बने रहने के लिए तब अनुज्ञात किया जा सकेगा, यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा विनिश्चय करती है ।

(6) आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करते समय और अपना पद छोड़ते समय अपनी आस्तियों तथा दायित्वों की घोषणा और अपनी वृत्तिक तथा वाणिज्यिक विनियोजन या आवेष्टन को ऐसे प्ररूप और रीति में घोषित करेगा जो विहित की जाए और ऐसी घोषणा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी ।

(7) अध्यक्ष या कोई सदस्य, उस रूप में पद पर न रह जाने पर, ऐसे पद को त्यागने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए किसी भी हैसियत में, जिसमें कोई परामर्शदाता या कोई विशेषज्ञ भी हैं, होम्यापैथी के किसी प्राइवेट चिकित्सा संस्था में या जिसका मामला ऐसे अध्यक्ष या सदस्य द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: निपटाया गया है, कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा:

परंतु इसमें अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या अनुरक्षित निकाय या संस्था, जिसमें होम्योपैथी की चिकित्सा संस्था भी है, में कोई नियोजन स्वीकार करने से रोकती है ;

(8) उपधारा (7) में की कोई बात, केन्द्रीय सरकार को अध्यक्ष या सदस्य को किसी भी हैसियत में, जिसमें होम्योपैथी के किसी प्राइवेट चिकित्सा संस्था में परामर्शदाता या विशेषज्ञ भी है, जिसका मामला ऐसे अध्यक्ष या सदस्य द्वारा निपटाया गया है, में कोई नियोजन स्वीकार करने के लिए अनुज्ञात करने से नहीं रोकेगी ।

आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना ।

7. (1) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकेगी–

(क) जिसे दिवाला अधिनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्गस्त है ;

(ग) जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो गया है; या

(घ) जो विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है;

(ङ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य

के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(च) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिसके कारण सदस्य के रूप में पद पर बने रहना लोकहित में हानिकारक है ;

(2) कोई सदस्य उपधारा (1) के खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया हो ।

आयोग के सचिव, विशेषज्ञों, वृत्तिकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति ।

8. (1) आयोग का एक सचिवालय होगा जिसका अध्यक्ष सचिव होगा और जिसकी नियुक्ति धारा 5 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ।

(2) आयोग का सचिव साबित प्रशासनिक योग्यता और सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति होगा जिसके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव होगा, जो विहित किया जाए ।

(3) सचिव, केन्द्रीय सरकार द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और वह किसी विस्तार या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(4) सचिव, आयोग के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो आयोग द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएं और जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(5) आयोग इस अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सृजित पदों पर ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(6) आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन तथा भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(7) आयोग विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन करने में आयोग की सहायता करने के लिए ऐसी संस्था में सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट योग्यता वाले विशेषज्ञों और वृत्तिकों को विनियोजित कर सकेगा जो होम्योपैथी का विशेष ज्ञान तथा होम्योपैथी जन स्वास्थ्य, प्रबंध, अर्थशास्त्र, प्रत्यायन, रोगी पक्ष समर्थन, स्वास्थ्य अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रशासन, वित्त, लेखा या विधि में, जैसा वह आवश्यक समझे, के क्षेत्रों, जिसमें चिकित्सा शिक्षा भी हैं, में अनुभव रखते हैं ।

आयोग की बैठकें ।

9. (1) आयोग तीन मास में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जो अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाए ।

(2) अध्यक्ष आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि, किसी कारणवश अध्यक्ष आयोग की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो कोई भी सदस्य, जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट स्वायत्त बोर्डों का प्रधान है, बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) जब तक आयोग की बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया विनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं कर दी जाती है तब तक आयोग के सदस्यों की कुल संख्या का आधा, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, गणपूर्ति गठित करेगा और आयोग के सभी विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा लिए जाएंगे तथा मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी उपस्थिति में उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट स्वायत्त बोर्ड का प्रधान का निर्णायक मत होगा ।

(4) आयोग का साधारण अधीक्षण, प्रशासन का निदेशन और नियंत्रण अध्यक्ष में निहित होगा ।

(5) आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र निम्नलिखित के कारण अविधिमान्य नहीं होगी—

(क) आयोग में किसी रिक्ति या इसके गठन में कोई त्रुटि ; या

(ख) अध्यक्ष के रूप में या सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि ।

(6) धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन दिए गए विनिश्चय के सिवाय, ऐसा कोई व्यक्ति जो आयोग के किसी विनिश्चय से व्यथित है, ऐसे विनिश्चय की संसूचना के पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे विनिश्चय के विरूद्ध केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा ।

आयोग की शक्ति और कृत्य ।

10. (1) आयोग निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा—

(क) होम्योपैथी की शिक्षा में उच्च गुणवत्ता और उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए नीतियां अधिकथित करना और इस निमित्त आवश्यक विनियम बनाने के लिए नीतियां अधिकथित करना ;

(ख) चिकित्सा संस्थाओं, चिकित्सा अनुसंधानों और चिकित्सा वृत्तिकों को विनियमित करने के लिए और इस निमित्त आवश्यक विनियम बनाने के लिए नीतियां अधिकथित करना ;

(ग) स्वास्थ्य देख-रेख में अपेक्षाओं, जिनके अंतर्गत स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देख-रेख के लिए अवसंरचना के लिए मानव संसाधन भी हैं, का मूल्यांकन करना; और ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्य योजना विकसित करना ;

(घ) ऐसे विनियम बनाकर जो आयोग, स्वायत्त बोर्डों और राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषदों के उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक हों, मार्गदर्शी सिद्धांत विरचित और नीतियां अधिकथित करना;

(ङ) स्वायत्त बोर्डों के बीच समन्वय स्थापित करना ;

(च) ऐसे उपाय करना, जो इस अधिनियम के अधीन इनके प्रभावी कार्यकरण के लिए इस अधिनियम के अधीन विरचित मार्गदर्शी सिद्धातों और बनाए गए विनियमों का राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषदों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों ;

(छ) स्वायत्त बोर्ड के विनियमों के संबंध में अपीली अधिकारिता का प्रयोग करना ;

(ज) चिकित्सा व्यवसाय में वृतिक नैतिक आचरण का पालन सुनिश्चित करने और चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा देरेख की व्यवस्था के दौरान नैतिक आचरण का संवर्धन करने के लिए विनियम बनाना ;

(झ) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन संचालित निजी चिकित्सा संस्थान और मानद विश्वविद्यालय के पचास प्रतिशत स्थान के संबंध में शुल्क और अन्य प्रभार को अवधारित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत विरचित करना ;

(ञ) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे कृत्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं ।

(2) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे और आयोग, सचिव को प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर अपनी शक्तियों को इस प्रकार प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(3) आयोग उपसमितियों का गठन कर सकेगा और उनको अपनी उन शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो विनिर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने में उन्हें समर्थ बनाने हेतु आवश्यक हों ।

अध्याय 3

होम्योपैथी सलाहकारी परिषद्

होम्योपैथी सलाहकारी परिषद् का गठन और संरचना ।

11. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना और होम्योपैथी सलाहकारी परिषद नामक सलाहकारी निकाय का गठन करेगी ।

(2) परिषद निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात:—

(क) आयोग का अध्यक्ष परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) आयोग का प्रत्येक सदस्य परिषद् का पदेन सदस्य होगा;

(ग) प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य, जो उस राज्य में किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो, जिसके पास होम्योपैथी मे अर्हताएं हों, जिसे उस राज्य द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए और प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य, जो उस संघ राज्यक्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो, जिसके पास होम्योपैथी में अहर्ताएं हों, जिसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु जहां कि होम्योपैथी में अर्हताएं रखनेवाला कुलपति उपलब्ध नहीं हो तब होम्योपैथी में अहर्ताएं रखने वाला कोई संकायाध्यक्ष या संकाय के प्रधान को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा,—

(घ) प्रत्येक राज्य का और प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य, जिसे राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ङ) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ;

(च) निदेशक, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् ;

(छ) चार सदस्य, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंध संस्थानों तथा भारतीय विज्ञान संस्थान में निदेशक के पद धारण करने वाले व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(ज) परिषद् में गैर-पदेन सदस्यों की पदावधि चार वर्ष होगी ।

होम्योपैथी के लिए सलाहकारी परिषद् के कृत्य ।

12. (1) परिषद् ऐसा प्राथमिक मंच होगा जिसके माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आयोग के समक्ष अपने विचार तथा मामले प्रस्तुत कर सकेंगे और होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास से संबंधित समग्र कार्यसूची, नीति और कार्रवाई को तैयार करने में सहायक हो सके ।

(2) परिषद्, चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास संबंधी सभी मामलों में न्यूनतम मानकों का अवधारण करने तथा उनको बनाए रखने और उनके रखरखाव का समन्वय करने के लिए उपायों पर आयोग को सलाह देगी ।

(3) परिषद्, चिकित्सा शिक्षा तक साम्यापूर्ण पहुंच को वर्णित करने के उपायों पर आयोग को सलाह देगी ।

होम्योपैथी सलाहकारी परिषद की बैठकें ।

13. (1) परिषद् वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे समय तथा स्थान पर बैठक करेगी जिसका विनिश्चय अध्यक्ष द्वारा किया जाए ।

(2) अध्यक्ष, परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारणवश, अध्यक्ष परिषद् की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो अध्यक्ष द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट ऐसा अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) जब तक प्रक्रिया विनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित न की जाए, तब तक अध्यक्ष सहित परिषद् के आधे सदस्यों का गणपूर्ति होगा और परिषद् के सभी कार्य उपस्थित सदस्यों के बहुमत तथा मतदान द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे ।

अध्याय 4

राष्ट्रीय परीक्षा

राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा ।

14. (1) इस अधिनियम के अधीन शासित सभी चिकित्सा संस्थाओं में होम्योपैथी की पूर्वस्नातक में प्रवेश के लिए एक समान राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा होगी ।

(2) आयोग ऐसे पदाभिहित प्राधिकारी के माध्यम से राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा अंग्रेजी और ऐसी भाषाओं में और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, आयोजित करेगा ।

(3) आयोग इस अधिनियम के अधीन शासित सभी चिकित्सा संस्थाओं में प्रवेश के लिए पदाभिहित प्राधिकारी सामान्य परामर्श संचालित करने की रीति विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करेगा:

परन्तु यह और कि सामान्य परामर्श–

(i) अखिल भारतीय स्थानों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा ; और

(ii) राज्य स्तर पर शेष स्थानों के लिए राज्य सरकार,

के पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा संचालित किया जाएगा ।

राष्ट्रीय निकास परीक्षा ।

15. (1) सामान्य अंतिम वर्ष पूर्वस्नातक चिकित्सा परीक्षा के, जो राष्ट्रीय निकास परीक्षा के नाम से ज्ञात होगी, होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी के रूप में व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए और यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में अभ्यावेशन के लिए आयोजित की जाएगी ।

(2) आयोग ऐसे पदाभिहित प्राधिकारी के माध्यम से और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अंग्रेजी और ऐसी अन्य भाषाओं में होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय निकास परीक्षा संचालित करेगा ।

(3) राष्ट्रीय निकास परीक्षा उस तारीख से, जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, तीन वर्ष के भीतर ऐसी तारीख को जो केन्द्रीय सरकार, द्वारा अधिसूचना द्वारा नियत की जाए, प्रवर्तनशील होगी ।

(4) विदेशी चिकित्सा अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति को होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी के रूप में होम्योपैथी व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए और यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में अभ्यावेषन के लिए राष्ट्रीय निकास परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा, ऐसी रीति में जो विनियमो द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा ।

16. (1) एक समान स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा इस अधिनियम के अधीन शासित सभी चिकित्सा संस्थानों में होम्योपैथी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संचालित की जाएगी ।

(2) आयोग, ऐसे पदाभिहित प्राधिकारी के माध्यम से और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अंग्रेजी में और ऐसी अन्य भाषाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा संचालित करेगा ।

(3) आयोग, इस अधिनियम के अधीन शासित सभी चिकित्सा संस्थाओं में स्नातकोत्तर के लिए प्रवेश हेतु पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा सामान्य परामर्श संचालित करने की रीति विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करेगा ।

होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा ।

17. (1) आयोग, राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा होम्योपैथी के उन स्नातकोत्तरों के लिए संचालित की जाएगी जो इस विधा में अध्यापन व्यवसाय आरंभ करने की वांछा करते हैं ।

(2) आयोग ऐसे पदाभिहित प्राधिकारी के माध्यम से और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, राष्ट्रीय होम्योपैथी अध्यापक पात्रता परीक्षा संचालित करेगा ।

(3) राष्ट्रीय होम्योपैथी अध्यापक पात्रता परीक्षा ऐसी तारीख से, जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, तीन वर्ष के भीतर ऐसी तारीख को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, प्रवर्तनशील हो जाएगी :

परन्तु इस धारा की कोई बात उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित तारीख से पूर्व नियुक्त अध्यापकों को लागू नहीं होगी ।

अध्याय 5

स्वायत्त बोर्ड

स्वायत बोर्ड का गठन ।

18. (1) केन्द्रीय सरकार, आयोग के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन, निम्नलिखित स्वायत्त बोर्डों को, इस अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों को समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए अधिसूचना द्वारा गठित करेगा, अर्थात्:—

(क) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड ;

(ख) होम्योपैथी चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड ;

(ग) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक बोर्ड एक स्वायत्त निकाय होगा जो आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करेगा ।

स्वायत्त बोर्डों की सरंचना ।

19. (1) स्वायत्त बोर्डों की संरचना निम्नानुसार होगी, अर्थात्:—

(क) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, होम्योपैथी की विधा से प्रधान और चार सदस्यों

से मिलकर बनेगा ;

(ख) होम्योपैथी चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड होम्योपैथी की विधा से अध्यक्ष और दो सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनमें से एक सदस्य होम्योपैथी की विधा से होगा और दूसरा सदस्य प्रत्यायन विशेषज्ञ होगा ;

(ग) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड होम्योपैथी की विधा से अध्यक्ष और दो सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनमें से एक सदस्य होम्योपैथी की विधा से होगा और दूसरा सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, चिकित्सा नैतिक आचरण पर कार्य के लोक अभिलेख का प्रदर्शन कर चुका है या गुणवत्ता, आश्वासन, लोक स्वास्थ्य; विधि या रोगी पक्षसमर्थन की विधाओं में से किसी विधा से चुना जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन चुने जाने वाले स्वायत्त बोर्ड के प्रधान और सदस्य उत्कृष्ट योग्यता; साबित प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विधाओं में स्नातकोत्तर उपाधि हो, और संबंधित क्षेत्रों में कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव रखते हों जिनमें से कम से कम सात वर्ष अग्रणी के रूप में हो:

परन्तु होम्योपैथी से अध्यक्ष और सदस्य के मामले में अग्रणी के रूप में सात वर्ष होम्योपैथी में स्वास्थ्य, उन्नति और विकास के क्षेत्र में होंगे ।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोज समिति ।

20. केन्द्रीय सरकार, धारा 5 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार तद्धीन गठित खोज समिति द्वारा की गई सिफारिशों की आधार पर स्वायत्त बोर्डों के प्रधान और सदस्यों की नियुक्ति करेगी ।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।

21. प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड का प्रधान और सदस्य चार वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पदधारण करेंगे और किसी विस्तार या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें :

परन्तु ऐसा व्यक्ति सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।

(2) स्वायत्त बोर्ड के प्रधान और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें वे होगीं, जो विहित की जाएं ।

(3) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों से संबंधित धारा 6 की उपधारा (3), उपधारा (5), उपधारा (7) और उपधारा (8) में और उनके पद से हटाए जाने से संबंधित धारा 7 में अन्तर्विष्ट उपबंध, स्वायत्त बोर्डों के प्रधान और सदस्यों को भी लागू होंगे ।

विशेषज्ञों की सलाहकार समिति ।

22. (1) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के सिवाय प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड की सहायता ऐसी सलाहकारी समितियों द्वारा की जाएगी जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आयोग द्वारा गठित की जाएं ।

(2) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की ऐसी नैतिक विशेषज्ञों की समितियों द्वारा सहायता की जाएगी जो इस अधिनियम के अधीन उस बोर्ड के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए गठित की जाएं ।

स्वायत्त बोर्डों के कर्मचारिवृन्द ।

23. धारा 8 के अधीन नियुक्त विशेषज्ञों, वृतिकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को स्वायत्त बोर्डों को ऐसी संख्या ओर ऐसी रीति में उपलब्ध कराया जाएगा, जो आयोग द्वारा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

स्वायत्त बोर्डों की बैठकें ।

24. (1) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड मास में कम से कम एक बार ऐसे समय और ऐसे स्थान पर, जो वह नियत करे, बैठक करेगा ।

(2) ऐसे विनियमों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाए जाएं, स्वायत्त बोर्डों के सभी विनिश्चय सर्वसम्मति से किए जाएंगे और यदि सर्वसम्मति संभव नहीं है तो विनिश्चय, प्रधान और सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा ।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो स्वायत्त बोर्ड के किसी विनिश्चय से व्यथित है, ऐसे विनिश्चय की संसूचना के तीस दिन के भीतर ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध अपील कर सकेगा ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

25. (1) आयोग, प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के प्रधान को सहज और दक्षतापूर्ण कार्य करने के सम्बन्ध में ऐसे बोर्ड को समर्थ बनाने के लिए अपनी सभी या किन्हीं प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकेगा ।

(2) स्वायत्त बोर्ड का प्रधान उस बोर्ड के सदस्य या अधिकारी को अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति का और प्रत्यायोजन कर सकेगा ।

होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

26. (1) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्:—

(क) पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर और अति विशिष्ट स्तरों पर शिक्षा के मानकों का अवधारण करना और उनसे संबंधित सभी वस्तुओं का निरीक्षण करना ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन विनियमों के अनुसार सभी स्तरों पर होम्योपैथी के लिए सक्षमता आधारित गत्यात्मक पाठ्यक्रम को ऐसी रीति में विकसित करना जो स्नातकोत्तर और अति विशिष्ट छात्रों में समुचित कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण, मूल्यों और नैतिकता को विकसित करता है और उन्हें स्वास्थ्य देख-रेख उपलब्ध कराने, चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने और चिकित्सा अनुसंधान करने में समर्थ बनाना है ।

(ग) देश की आवश्यकताओं, वैश्विक सन्नियमों और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों को ध्यान में रखते हुए, होम्योपैथी में पूर्वस्नातक, स्नातकोत्तर और अतिविशिष्ट पाठ्यक्रमों को प्रदान करने वाली चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना करने के लिए संस्था में मार्गदर्शक सिद्धान्त विरचित करना ;

(घ) स्थानीय स्तरों पर सृजनता की आवश्यकताओं और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों को ध्यान में रखते हुए, चिकित्सा संस्थाओं में पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं को संचालित करने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं और मानकों को निर्धारित करना ;

(ङ) इस अधिनियम के विनियमों के अनुसार होम्योपैथी की चिकित्सा संस्थाओं में शिक्षा और अनुसंधान की उक्त अवसंरचना, संकाय और गुणवत्ता के लिए मानकों और सन्नियमों का अवधारण करना ;

(च) होम्योपैथी की चिकित्सा संस्थाओं द्वारा उनके ऐसे कृत्यों, जो विभिन्न पदधारियों, जिनमें छात्र भी हैं, संकाय, आयोग और सरकार के हितों पर प्रभाव

डालते हैं, के सबंध में इलैक्ट्रानिक मामले और अन्यथा अनिवार्य वार्षिक प्रकटन के लिए सन्नियम विनिर्दिष्ट करना;

(छ) संकाय सदस्यों के विकास और प्रशिक्षण को सुकर बनाना;

(ज) अनुसंधान कार्यक्रम को सुकर बनाना ;

(झ) सभी स्तरों पर होम्योपैथी की चिकित्सीय अर्हताओं को मान्यता प्रदान करना ।

(2) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, अपने कृत्यों के निर्वहन में, आयोग को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा और ऐसे निदेशों के लिए मांग कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

27. (1) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 31 के उपबंधों के अनुसार होम्योपैथी के सभी अनुज्ञप्त व्यवसायियों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखना ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार वृत्तिक आचरण को विनियमित करना तथा चिकित्सीय नैतिक का संवर्धन करना :

परन्तु होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, उस दशा में जहां ऐसी राज्य चिकित्सा परिषद् को संबंधित राज्य अधिनियमों के अधीन चिकित्सा व्यवसायों द्वारा वृत्तिक या नैतिक कदाचार की बाबत अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति प्रदत्त की गई है वहां राज्य चिकित्सा परिषद् के माध्यम से वृत्तिक और नैतिक आचारण संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेगा :

(ग) होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायियों के आचरण को प्रभावी रूप से संचालित करने और विनियमित करने के लिए राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद् के साथ निरन्तर अनन्योक्रिया करने के लिए तंत्र विकसित करना ;

(घ) धारा 30 के अधीन राज्य चिकित्सा परिषद् के द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करना ।

(2) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड अपने कृत्यों के निर्वहन, में, आयोग को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा और उससे ऐसे निदेशों का अनुरोध कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

होम्योपैथी चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

28. (1) होम्योपैथी चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) इस अधिनियम के अधीन बनाए विनियमों के अनुसार चिकित्सा संस्थाओं के मूल्यांकन और रेटिंग की प्रक्रिया का होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा अधिकथित मानकों के, उनके अनुपालन के आधार पर अवधारण करना ;

(ख) धारा 29 के उपबंधों के अनुसार नई चिकित्सा संस्था की स्थापना या कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को शुरू करने या स्थानों की संख्या को बढ़ाने के लिए अनुज्ञा प्रदान करना ;

(ग) ऐसी संस्थाओं के मूल्यांकन और रेटिंग के लिए चिकित्सा संस्थाओं का निरीक्षण इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार करना :

परन्तु होम्योपैथी चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड, यदि आवश्यक समझे,

ऐसी संस्थाओं के मूल्यांकन और रेटिंग के लिए चिकित्सा संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए किसी भी अन्य तृतीय पक्षकार, अभिकरण या व्यक्तियों को किराए पर ले सकेगा और प्राधिकृत कर सकेगा :

परन्तु यह और कि जहां चिकित्सा संस्थाओं का निरीक्षण होम्योपैथी चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड द्वारा प्राधिकृत ऐसे तृतीय पक्षकार, अभिकरण या व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, वहां ऐसी संस्थाओं के लिए बाध्यकारी होगा कि वे ऐसे अभिकरण या व्यक्ति तक पहुंच का उपबंध करें ;

(घ) ऐसी सभी चिकित्सा संस्थाओं को उनके खुलने की ऐसी अवधि के भीतर और उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष ऐसे समय पर और रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, संचालित करने, उनका मूल्यांकन करने तथा उनका रेट करने के लिए स्वतंत्र रेटिंग अभिकरणों को संचालित करना या जहां वह यह आवश्यक समझे, उन्हें पैनलीकृत करना ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार चिकित्सा संस्थाओं के मूल्यांकन और रेटिंग नियमित अन्तरालों पर अपनी वेबसाइट पर या लोक अधिकारिता में उपलब्ध कराना ;

(च) किसी चिकित्सा संस्थान के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड के द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में उसकी असफलता के लिए उपाय करना, जिनके अन्तर्गत चेतावनी जारी करना, धनीय शास्ति का अधिरोपण, प्रवेश के अन्तर्ग्रहण या ठहराव को कम करने और आयोग को मान्यता की वापसी के लिए सिफारिश करना भी है ।

(2) होम्योपैथी चिकित्सा मूल्यांकन रेटिंग बोर्ड, अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए, आयोग को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा और उससे ऐसे निदेशों के लिए अनुरोध कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

नई चिकित्सा संस्था के स्थापन के लिए अनुज्ञा ।

29. (1) कोई व्यक्ति होम्योपैथी मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना कोई नई चिकित्सा संस्था या कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू नहीं करेगा या स्थानों की संख्या स्थापित नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "व्यक्ति" पद के अन्तर्गत कोई विश्वविद्यालय या कोई न्यास या कोई अन्य निकाय भी है किन्तु इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार नहीं है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, कोई व्यक्ति होम्योपैथी चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड को एक स्कीम ऐसे प्ररूप में, जिसमें ऐसी संलग्न फीस, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट हों और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त स्कीम पर विचार करते समय, होम्योपैथी चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड शिक्षा और अनुसंधान मानकों, अवसंरचना और संकाय के लिए मानकों और सन्नियमों, चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना करने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों और होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा अवधारित अपेक्षाओं को ध्यान में

रखेगा और ऐसी स्कीम की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर स्कीम का अनुमोदन या अननुमोदन करने वाला आदेश पारित करेगा :

परंतु ऐसी स्कीम को अननुमोदित करने से पहले, संबंधित व्यक्ति को त्रुटियों को परिशोधित करने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन कोई स्कीम अनुमोदित की जाती है, वहां ऐसा अनुमोदन नई चिकित्सा संस्था को स्थापित करने के लिए उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात होगा ।

(5) जहां उपधारा (3) के अधीन कोई स्कीम अननुमोदित की जाती है या जहां उपधारा (2) के अधीन स्कीम प्रस्तुत करने के तीन मास के भीतर कोई आदेश पारित किया जाता है, वहां संबंधित व्यक्ति को, यथास्थिति, ऐसे अननुमोदन के प्रदंह दिन के भीतर या तीन मास बीत जाने के पश्चात् ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकेगी, आयोग को अपील कर सकेगा ।

(6) जहां आयोग ने स्कीम का अननुमोदन कर दिया है या उपधारा (5) के अधीन अपील करने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, वहां संबंधित व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार को यथास्थिति, ऐसे अननुमोदन की संसूचना के सात दिन के भीतर या पन्द्रह दिन की विनिर्दिष्ट अवधि बीत जाने पर दूसरी अपील कर सकेगा ।

(7) होम्योपैथी चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड किसी पूर्व सूचना के बिना किसी भी समय या तो सीधे या किसी अन्य विशेषज्ञ जिसे चिकित्सा व्यवसाय में समग्रता और अनुभव हो के माध्यम से किसी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था का मूल्यांकन कर सकेगा और ऐसे विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था के निष्पादन मानकों और बैंचमार्कों का निर्धारण और मूल्यांकन कर सकेगा ।

स्कीम का अनुमोदन या अननुमोदन करने के लिए मानदंड ।

30. धारा 29 के अधीन स्कीम का अनुमोदन या अननुमोदन करते समय मार्गदर्शी सिद्धांतों और होम्योपैथी विधि बोर्ड या आयोग निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :—

(क) पर्याप्त अवसंरचना और वित्तीय स्रोत ;

(ख) पर्याप्त शैक्षणिक सुविधा, गैर तकनीकी कर्मचारिवृंद और ऐसी अन्य आवश्यक सुविधाएं जिनका चिकित्सा संस्था के समुचित कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु उपबंध किया गया है या स्कीम में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उपबंध किया जाएगा ;

(ग) पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई हैं या स्कीम में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रदान की जाएंगी ;

(घ) ऐसे अन्य कारक, जो विहित किए जाएं :

परन्तु केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए ऐसे क्षेत्रों के, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं चिकित्सा संस्थाओं के लिए मानदंडों को शिथिल किया जा सकता है ।

राज्य चिकित्सा परिषद् ।

31. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष के भीतर, यदि किसी राज्य में कोई होम्योपैथी संबंधी राज्य चिकित्सा परिषद् विद्यमान

नहीं है तो वह उस राज्य में ऐसी परिषद् की स्थापना करेगी ।

(2) जहां कोई राज्य अधिनियम, राज्य चिकित्सा परिषद् को, होम्योपैथी के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के किसी वृत्तिक या नैतिक कदाचार के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करता है, वहां राज्य चिकित्सा परिषद् इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों और विरचित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी :

परंतु उस समय तक जब तक कि राज्य में होम्योपैथी की राज्य चिकित्सा परिषद् की स्थापना नहीं कर दी जाती है, होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, उस राज्य में विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की गई ऐसी प्रक्रिया के अनुसार होम्योपैथी के रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के किसी वृत्तिक या नैतिक कदाचार से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करेगा :

परंतु यह और कि, यथास्थिति, होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड या राज्य चिकित्सा परिषद् ऐसे किसी व्यवसायी को, कोई आदेश पारित करने या कोई कार्रवाई करने से पूर्व, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध धनीय शास्ति अधिरोपित किया जाना भी है, सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा ।

(3) होम्योपैथी का कोई व्यवसायी, जो निम्नलिखित द्वारा पारित किसी आदेश या की गई कार्रवाई से व्यथित है,--

(क) उपधारा (2) के अधीन राज्य चिकित्सा परिषद्, होम्योपैथी संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के समक्ष अपील कर सकेगी और उस पर होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड का कोई विनिश्चय, यदि कोई हो, तब तक ऐसी राज्य चिकित्सा परिषद् पर आबद्धकर होगा, जब तक कि उपधारा (4) के अधीन की दूसरी अपील फाइल नहीं कर दी जाती है ;

(ख) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड उपधारा (2) के पहले परंतुक के अधीन आयोग को अपील कर सकेगा ।

(4) ऐसा कोई होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी जो निम्नलिखित द्वारा पारित विनिश्चय से व्यथित है, होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, ऐसे विनिश्चय की संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर आयोग को अपील कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण--इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "राज्य" के अंतर्गत कोई संघ राज्यक्षेत्र भी है और किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" और "राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद्" पदों से क्रमशः "केन्द्रीय सरकार" और "होम्योपैथी संघ राज्यक्षेत्र चिकित्सा परिषद्" अभिप्रेत है ;

(ख) "वृत्तिक या नैतिक कदाचार" पद के अंतर्गत ऐसे कोई कार्य करना या लोप भी है, जिन्हें विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

होम्योपैथी का राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर ।

32. (1) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें होम्योपैथी के किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त चिकित्सा व्यवसायी का नाम, पता और उसके द्वारा धारण की जाने वाली सभी मान्यताप्राप्त अर्हताएं और ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) राष्ट्रीय रजिस्टर ऐसे प्ररूप में, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रोनिक प्ररूप भी है, और ऐसी रीति में रखा जाएगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(3) राष्ट्रीय रजिस्टर में किसी नाम या किसी अर्हता को जोड़े जाने या उसे हटाए

जाने की रीति और उसके हटाए जाने के आधार वे होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) राष्ट्रीय रजिस्टर, होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा उसकी वेबसाइट पर डालकर साधारण जनता को उपलब्ध कराया जाएगा ।

(5) प्रत्येक राज्य चिकित्सा परिषद्, विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रोनिक रूप-विधान में एक राज्य रजिस्टर बनाए रखेगी तथा उसे नियमित रूप से अद्यतन करेगी और उसकी एक प्रति, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन मास के भीतर होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड को उपलब्ध कराएगी ।

(6) होम्योपैथी और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर ऐसी रीति में इलैक्ट्रोनिक रूप से सुमेलित रहे कि ऐसे किसी एक रजिस्टर में कोई परिवर्तन स्वतः ही अन्य रजिस्टर में परिलक्षित हों ।

राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित किए जाने वाले व्यक्तियों के अधिकार और उनके संबंध में उनकी बाध्यताएं ।

33. (1) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके पास इस अधिनियम के अधीन होम्योपैथी में कोई मान्यताप्राप्त अर्हता है और जो धारा 15 के अधीन आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय निकास परीक्षा में अर्हता प्राप्त करता है, होम्योपैथी में व्यवसाय करने की अनुज्ञप्ति होगी और उसके नाम तथा अर्हताओं को, यथास्थिति, राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में नामांकित किया जाएगा :

परंतु ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के प्रवृत्त होने पर धारा 15 की उपधारा (3) के और राष्ट्रीय निकास परीक्षा आरंभ होने से पूर्व होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के अधीन बना कर रखे गए होम्योपैथी के केन्द्रीय रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है और उसे इस अधिनियम के अधीन रखे गए प्रथमतः राज्य रजिस्टर में और तत्पश्चात् राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित किया जाएगा । 1973 का 59

(2) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने भारत से बाहर किसी अन्य देश में स्थापित किसी चिकित्सा संस्था से होम्योपैथी में कोई अर्हता प्राप्त की है और जो उस देश में होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी के रूप में मान्यताप्राप्त है, इस अधिनियम के प्रारंभ तथा धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन होम्योपैथी राष्ट्रीय निकास परीक्षा के प्रचालन में आने के पश्चात् होम्योपैथी के राष्ट्रीय रजिस्टर में तब तक नामांकित नहीं किया जाएगा, जब तक उसने होम्योपैथी राष्ट्रीय निकास परीक्षा में अर्हता प्राप्त न कर ली हो ।

(3) जब ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके नाम को, यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है, कोई उपाधि, डिप्लोमा, विज्ञान अथवा चिकित्सा में प्रवीणता संबंधी ऐसी कोई अर्हता प्राप्त करता है जो, यथास्थिति, धारा 34 या धारा 35 के अधीन एक मान्यताप्राप्त अर्हता है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसी उपाधि, डिप्लोमा या अर्हता को राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में ऐसी रीति में, अपने नाम के सामने प्रविष्ट किए जाने का हकदार होगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

व्यक्तियों का व्यवसाय करने का अधिकार ।

34. (1) यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को,--

(क) एक अर्हित व्यवसायी के रूप में होम्योपैथी में व्यवसाय करने की

अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ;

(ख) चिकित्सक या शल्य चिकित्सक का पद या ऐसा कोई अन्य पद, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, धारण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसे, यथास्थिति, चिकित्सक या शल्य चिकित्सक द्वारा धारित किया जाना है ;

(ग) ऐसे किसी चिकित्सा या आरोग्य प्रमाणपत्र या किसी अन्य ऐसे प्रमाणपत्र पर, जो विधि द्वारा किसी अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणित किया जाना अपेक्षित है, हस्ताक्षर करने या उसे अधिप्रमाणित करने का हक नहीं होगा ;

1872 का 1

(घ) किसी मृत्युपरीक्षा में साक्ष्य देने या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ के रूप में होम्योपैथी से संबंधित किसी विषय पर किसी न्यायालय में साक्ष्य देने का हक नहीं होगा :

परंतु यह और कि आयोग ऐसे व्यवसायियों की एक सूची, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह भी कि ऐसे किसी विदेशी नागरिक को, जो अपने देश में, उस देश में चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार होम्योपैथी में व्यवसायी के रूप में नामांकित है, ऐसे समय के लिए और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, भारत में अस्थायी रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात किया जाएगा ।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में, कोई कार्य करता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(3) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी,–

(क) राज्य रजिस्टर में होम्योपैथी के व्यवसायी के रूप में नामांकित किसी व्यक्ति के किसी भी राज्य में व्यवसाय करने के अधिकार को, मात्र इस आधार पर कि उसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को होम्योपैथी में मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता नहीं है ;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति के, जो किसी राज्य में कम से कम पांच वर्ष के लिए होम्योपैथी में व्यवसाय कर रहा है, उस राज्य में व्यवसाय जारी रखने के अधिकार को, जिसमें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को होम्योपैथी का राज्य रजिस्टर बनाए नहीं रखा गया है ।

अध्याय 6

होम्योपैथी की अर्हताओं को मान्यता

भारत में विश्वविद्यालयों या चिकित्सा संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई अर्हताओं को मान्यता ।

35. (1) भारत में किसी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था द्वारा होम्योपैथी में स्नातक या स्नातकोत्तर या अति विशिष्ट स्तर पर प्रदान की गई चिकित्सा अर्हताओं को होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सूचीबद्ध किया जाएगा और, बनाए रखा जाएगा और ऐसी चिकित्सा अर्हता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी ।

(2) भारत का कोई ऐसा विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था, जो होम्योपैथी में

स्नातक या स्नातकोत्तर या अति विशिष्ट स्तर पर चिकित्सा अर्हताओं को प्रदान करता है, किंतु उसे होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाए रखी गई सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो वह ऐसी अर्हता को मान्यता प्रदान करने के लिए उस बोर्ड को आवेदन कर सकेगा ।

(3) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, होम्योपैथी को मान्यता प्रदान करने के लिए किसी आवेदन की, छह मास की अवधि के भीतर ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, समीक्षा करेगा ।

(4) जहां, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, होम्योपैथी में अर्हता को मान्यता प्रदान करने का विनिश्चय करता है, वहां ऐसी अर्हता को उसके द्वारा बनाए रखी गई सूची में सम्मिलित किया जाएगा और उसमें उस तारीख को भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिससे ऐसी मान्यता प्रभावी होगी, अन्यथा वह बोर्ड उस चिकित्सीय अर्हता को मान्यता प्रदान न करने के अपने विनिश्चय की संसूचना संबद्ध विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था को देगा ।

(5) व्यथित विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था, यथास्थिति, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग को अपील कर सकेगा ।

(6) आयोग उपधारा (5) के अधीन प्राप्त अपील की दो मास की अवधि के भीतर समीक्षा करेगा और यदि वह यह विनिश्चय करता है कि ऐसी चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान की जा सकती है तो वह संबद्ध बोर्ड को, ऐसी अर्हता को उस बोर्ड द्वारा बनाए रखी गई सूची में ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए,सम्मिलित करने का निदेश दे सकेगा ।

(7) जहां आयोग उपधारा (6) के अधीन मान्यता प्रदान न करने का विनिश्चय करता है या विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विनिश्चय करने में असफल रहता है, वहां व्यथित विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था, यथास्थिति, ऐसे विनिश्चय की संसूचना की तारीख या विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार को दूसरी अपील कर सकेगा ।

(8) ऐसी सभी चिकित्सा अर्हताओं को, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यता प्रदान की गई है और जिन्हें होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है । होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा ऐसी रीति में सूचीबद्ध किया जाएगा और बनाए रखा भी जाएगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए । 1973 का 59

भारत के बाहर चिकित्सा संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता ।

36. (1) जहां भारत से बाहर किसी देश में कोई प्राधिकरण, जिसे उस देश की विधि द्वारा उस देश में होम्योपैथी की अर्हताओं की मान्यता का कार्य सौंपा गया है, भारत में ऐसी अर्हता को मान्यता प्रदान करने हेतु आयोग को कोई आवेदन करता है, वहां आयोग, ऐसे सत्यापन के अधीन रहते हुए, जिसे वह आवश्यक समझे, उस चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान कर सकेगा या मान्यता प्रदान करने से इंकार कर सकेगा ।

(2) जहां आयोग, उपधारा (1) के अधीन किसी चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान करता है, वहां ऐसी चिकित्सा अर्हता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त

अर्हता होगी और उसे ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग द्वारा बनाए रखी गई सूची में सम्मिलित किया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जहां आयोग किसी को मान्यता प्रदान न करने का विनिश्चय करता है, वहां आयोग ऐसी अर्हता को मान्यता प्रदान करने से इंकार करने से पूर्व उस प्राधिकरण को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा ।

(3) जहां आयोग उपधारा (2) के अधीन किसी चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान करने से इंकार करता है, वहां संबद्ध प्राधिकरण मान्यता प्रदान किए जाने के लिए केंद्रीय सरकार को अपील कर सकेगा ।

(4) ऐसी सभी अर्हताएं, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यता प्रदान की गई है और जिन्हें होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की तीसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हताएं होंगी और उन्हें आयोग द्वारा बनाए रखी गई सूची में ऐसी रीति में सम्मिलित किया जाएगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

1973 का 59

अर्हता की मान्यता वापस लेना या मान्यता समाप्त करना ।

37. (1) जहां आयोग को, होम्योपैथी चिकित्सा संबंधी मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड से कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा यह प्रतीत होता है कि,–

(क) किसी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था द्वारा कराए जा रहे अध्ययन पाठ्यक्रम या परीक्षा या उसके द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपेक्षित प्रवीणता, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है ; या

(ख) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा यथा अवधारित चिकित्सा संस्थाओं में अवसंरचना, संकाय और चिकित्सा में गुणवता मानकों और सन्नियमों का किसी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है और ऐसा विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को बनाए रखने हेतु आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने में असफल रहा है,

वहां आयोग उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई आरम्भ कर सकेगा :

परंतु आयोग किसी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा अर्हता को प्रदान की गई मान्यता को स्वप्रेरणा से वापस लेने के लिए कार्रवाई करने से पूर्व धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (च) के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित करेगा ।

(2) आयोग, ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे, और राज्य सरकार तथा संबद्ध विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था के प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात्, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी चिकित्सा अर्हता को प्रदान की गई मान्यता को वापस लिया जाना चाहिए, तो वह आदेश द्वारा, ऐसी चिकित्सा अर्हता को प्रदान की गई मान्यता को वापस ले सकेगा और, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड को यह निदेश दे सकेगा कि वह उस बोर्ड द्वारा बनाए रखी गई सूची में संबद्ध विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था के सामने की प्रविष्टियों में इस प्रभाव का संशोधन करे कि ऐसी अर्हता को प्रदान की गई मान्यता को उस आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से वापस ले लिया गया है ।

(3) यदि आयोग की, भारत से बाहर किसी देश के प्राधिकरण से सत्यापन के पश्चात् यह राय है कि कोई मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता की, जिसे उसके द्वारा बनाए रखी गई सूची में सम्मिलित किया गया है, मान्यता को समाप्त किया जाना है, वहां वह, आदेश द्वारा, ऐसी चिकित्सा अर्हता की मान्यता को समाप्त कर सकेगा और उसे ऐसे आदेश की तारीख से आयोग द्वारा बनाए रखी गई सूची से हटा सकेगा ।

अर्हताओं की मान्यता के लिए कतिपय मामलों में विशेष उपबंध ।

38. जहां आयोग ऐसा करना आवश्यक समझता है, वहां वह, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि भारत से बाहर किसी चिकित्सा संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली होम्योपैथी में कोई अर्हता, ऐसी तारीख के पश्चात्, जिसे उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त अर्हता होगी :

परंतु ऐसी अर्हता धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा चिकित्सा व्यवसाय को केवल तभी अनुज्ञात किया जाएगा यदि ऐसे व्यक्ति को उस देश में तत्समय प्रवृत्त चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार चिकित्सा व्यवसायी के रूप में नामांकित किया गया है :

परंतु यह और कि ऐसी अर्हता धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा चिकित्सा व्यवसाय ऐसी अवधि के लिए सीमित होगा, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु यह भी कि ऐसी अर्हता धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा चिकित्सा व्यवसाय को केवल तभी अनुज्ञात किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीय निकास परीक्षा अर्हित करता है ।

अध्याय 7

अनुदान, संपरीक्षा और लेखा

केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

39. केंद्रीय सरकार, विधि द्वारा संसद् द्वारा इस निमित्त सम्यक् विनियोग के पश्चात्, आयोग को ऐसी धनराशि का अनुदान कर सकेगी, जो केंद्रीय सरकार समुचित समझे ।

होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग निधि ।

40. (1) "होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग निधि" नामक एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा,--

(क) आयोग और स्वायत बोर्डों द्वारा प्राप्त सभी सरकारी अनुदान, फीस, शास्ति और प्रभार ;

(ख) आयोग द्वारा ऐसे किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी रकमें, जैसा उसके द्वारा विनिश्चय किया जाए ।

(2) इस निधि को निम्नलिखित के मद्दे संदाय करने के लिए उपयोजित किया जाएगा,--

(क) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, स्वायत बोर्डों के प्रधानों और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों तथा प्रशासनिक व्ययों, जिनके अंतर्गत आयोग तथा स्वायत बोर्डों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते भी हैं ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए उपगत व्ययों या उपगत होने वाले व्ययों, जिसके अंतर्गत आयोग तथा स्वायत बोर्डों के कृत्यों के निर्वहन से जुड़े व्यय भी हैं ।

संपरीक्षा और लेखा ।

41. (1) आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्ररूप में, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किए जाएं, लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा ।

(2) आयोग के लेखाओं की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, संपरीक्षा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय आयोग द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किए गए किन्हीं अन्य व्यक्तियों को उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साधारण रूप से हैं और विशेष रूप से लेखा पुस्तकों, लेखाओं, संबद्ध वाऊचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्र पेश करने की मांग करने तथा आयोग के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित आयोग के लेखा उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से केंद्रीय सरकार को भेजे जाएंगे और उन्हें प्राप्त करने के पश्चात् सरकार उसे यथासंभवशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

विवरणियों और रिपोर्टों का केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाना ।

42. (1) आयोग, केंद्रीय सरकार को ऐसे समय पर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए या जैसा केंद्रीय सरकार निदेश करे, ऐसी रिपोर्टों और विवरणों और ऐसी विशिष्टियों को, जो आयोग की अधिकारिता के अधीन किसी विषय से संबंधित है, प्रस्तुत करेगा, जिनकी केंद्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे ।

(2) आयोग प्रत्येक वर्ष में एक बार ऐसे समय पर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों का एक संक्षिप्त विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट की प्रतियां केंद्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति उसकी प्राप्ति के पश्चात् यथासंभवशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

केंद्रीय सरकार की आयोग और स्वायत्त बोर्डों को निदेश देने की शक्ति ।

43. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग और स्वायत बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में, नीति के प्रश्नों संबंधी ऐसे निदेशों से आबद्ध होंगे, जो केंद्रीय सरकार, समय-समय पर दे :

परंतु आयोग और स्वायत बोर्डों को, यथाशक्य रूप से, इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने से पूर्व अपने मत अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(2) इस संबंध में कि क्या कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, केंद्रीय सरकार का

विनिश्चय अंतिम होगा ।

केंद्रीय सरकार की राज्य सरकारों को निदेश देने की शक्ति ।

44. केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए किसी राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी, जिन्हें वह आवश्यक समझे और राज्य सरकार उन निदेशों का अनुपालन करेगी ।

आयोग द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी और उसका प्रकाशन ।

45. (1) आयोग, ऐसी रिपोर्टें, उसके कार्यवृत्त की प्रतियां, उसके लेखों से उद्धरण और अन्य जानकारी केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिसके संबंध में वह सरकार अपेक्षा करे ।

(2) केंद्रीय सरकार, ऐसी रीति में, जिसे वह ठीक समझे, उपधारा (1) के अधीन उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्टों, कार्यवृत्तों, लेखों से उद्धरण और अन्य जानकारी को प्रकाशित कर सकेगी ।

विश्वविद्यालयों और चिकित्सा संस्थाओं की बाध्यताएं ।

46. इस अधिनियम के अधीन आने वाला प्रत्येक विश्वविद्यालय और चिकित्सा संस्था सभी समयों पर एक वेबसाइट बनाए रखेगी और ऐसी वेबसाइट में ऐसी जानकारी प्रदर्शित करेगी, जो, यथास्थिति, आयोग और किसी स्वायत्त बोर्ड द्वारा अपेक्षित हो ।

चिकित्सा संस्थाओं में प्रधान पाठ्यक्रम का पूरा किया जाना ।

47. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई छात्र, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व किसी चिकित्सा संस्था में किसी डिग्री या डिप्लोमा के लिए अध्ययन कर रहा था, इस प्रकार अध्ययन करता रहेगा और ऐसी डिग्री या डिप्लोमा के लिए अपने पाठ्यक्रम को पूरा करेगा और ऐसी संस्था, ऐसे प्रारंभ से पूर्व यथा विद्यमान पाठ्यचर्या और अध्ययन रूपरेखा के अनुसार ऐसे छात्र के लिए अनुदेश उपलब्ध कराती रहेगी तथा परीक्षाओं का आयोजन करेगी और उसमें उत्तीर्ण होने पर ऐसे छात्र के बारे में यह माना जाएगा कि उसने इस अधिनियम के अधीन अपने अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है और उसे इस अधिनियम के अधीन डिग्री या डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी चिकित्सा संस्था को प्रदान की गई मान्यता व्यपगत हो गई है, चाहे ऐसा समय के व्यतिक्रम के कारण हुआ हो या मान्यता को स्वैच्छिक रूप से अभ्यर्पित किए जाने के कारण या किसी अन्य कारणवश हुआ हो, वहां ऐसी चिकित्सा संस्था उस समय तक, जब तक कि सभी अभ्यर्थी उस संस्था में अपने अध्ययन को पूरा करने में समर्थ न हो जाएं, आयोग द्वारा यथा अनुमोदित न्यूनतम मानकों को बनाए रखेगी और उनका उपबंध करेगी ।

आयोग और स्वायत्त बोर्डों के प्रदान और सदस्यों का लोक सेवक होना ।

48. आयोग का अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी तथा स्वायत्त बोर्डों के प्रधान और सदस्य, जब वे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या तात्पर्यित रूप से कार्य कर रहे हों तो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

49. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए इस अधिनियम के अधीन सरकार, आयोग या किसी स्वायत्त बोर्ड या राज्य चिकित्सा परिषद् या उसकी किसी समिति या सरकार या आयोग के इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं लाई जाएगी । 1869 का 45

अपराधों का संज्ञान ।

50. कोई न्यायालय, यथास्थिति, आयोग या होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड या राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई लिखित शिकायत के सिवाय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।

केंद्रीय सरकार की आयोग को अधिक्रांत करने की शक्ति ।

51. (1) यदि केंद्रीय सरकार की किसी भी समय यह राय है कि,–

(क) आयोग इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ है ; या

(ख) आयोग ने निरंतर, केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसे जारी निदेशों के अनुपालन में या इस अधिनियम के उपबंधों के द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों के निष्पादन में व्यतिक्रम किया है,

तो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, आयोग को छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए अधिक्रांत कर सकेगी, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व केंद्रीय सरकार, आयोग को इस बात का कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी कि उसे अधिक्रांत क्यों नहीं किया जाना चाहिए और आयोग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों और आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आयोग को अधिक्रांत करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर,–

(क) सभी सदस्य अधिक्रांत किए जाने की तारीख से अपना पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) आयोग द्वारा या उसके निमित्त इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन प्रयोक्तव्य सभी शक्तियों या निष्पादित किए जाने वाले कृत्यों और कर्तव्यों का, उपधारा (3) के अधीन आयोग का पुनःगठन किए जाने तक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा केंद्रीय सरकार निदेश करे, प्रयोग और निष्पादन किया जाएगा ;

(ग) आयोग के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सभी संपत्तियां, उपधारा (3) के अधीन आयोग का पुनःगठन किए जाने तक केंद्रीय सरकार में निहित हो जाएंगी ।

(3) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रांत की अवधि के अवसान पर,--

(क) अधिक्रांत की अवधि को, छह मास से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगी, जिसे वह उचित समझे ; या

(ख) नई नियुक्तियों द्वारा आयोग का पुनर्गठन कर सकेगी और उस दशा में ऐसे सदस्य, जिन्होंने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपने पद रिक्त किए थे, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं माने जाएंगे :

परंतु केंद्रीय सरकार, अधिक्रांत की अवधि, चाहे वह अवधि मूल रूप से उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई हो या इस उपधारा के अधीन यथाविस्तारित अवधि हो, के

अवसान से पूर्व, किसी भी समय इस उपधारा के खंड (ख) के अधीन कार्रवाई कर सकेगी ।

(4) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन एक अधिसूचना जारी करवाएगी और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई को किए जाने वाली परिस्थितियों से संबंधित पूर्ण रिपोर्ट को शीघ्रतम अवसर पर संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी ।

आयोग, राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग, राष्ट्रीय योगा और प्राकृतिक चिकित्सा आयोग और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की संयुक्त बैठकें ।

52. (1) होम्योपैथी और आयुर्विज्ञान की आधुनिक प्रणाली के बीच परस्पर क्रिया का संवर्धन करने के लिए, वर्ष में कम से कम एक बार, ऐसे समय और स्थान पर, जिसे परस्पर सहमति से नियत किया जाए, आयोग, राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की संयुक्त बैठक की जाएगी ।

(2) संबद्ध आयोगों के अध्यक्षों के बीच परस्पर सहमति से संयुक्त बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत की जा सकेगी ।

(3) संयुक्त बैठक में, उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के पुष्टिकारक मत द्वारा, ऐसे विनिर्दिष्ट शैक्षिक और शिक्षा मोड्यूल या कार्यक्रमों को अनुमोदित करने का विनिश्चय किया जा सकेगा, जिन्हें सभी शिक्षा प्रणालियों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के स्तर पर आरंभ किया जा सकता है और इस प्रकार चिकित्सा बहुलवाद का संवर्धन किया जाएगा ।

राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य का संवर्धन ।

53. प्रत्येक राज्य सरकार, लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करने या उसका संवर्धन करने के लिए स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों की सक्षमता में अभिवृद्धि करने हेतु आवश्यक उपाय कर सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

54. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन सलाहकार परिषद् में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नामनिर्देशितियों में से चक्रानुक्रम आधार पर आयोग के पांच सदस्यों को नियुक्त करने की रीति ;

(ख) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन सदस्यों को नियुक्त करने की रीति ;

(ग) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ को नामनिर्दिष्ट किए जाने की रीति ;

(घ) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ङ) धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन घोषणा करने का प्ररूप और रीति ;

(च) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन सचिव द्वारा धारण की जाने वाली अर्हताएं और अनुभव ;

(छ) धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और

शर्तें ;

(ज) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन आयोग द्वारा प्रयोग की जाने वाली अन्य शक्तियां और निष्पादित किए जाने वाले अन्य कृत्य ;

(झ) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन स्वायत बोर्ड के प्रधान और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ञ) धारा 30 के खंड (घ) के अधीन अन्य कारक;

(ट) धारा 33 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन व्यवसायियों की सूची प्रस्तुत करने की रीति ;

(ठ) धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार करने का प्ररूप ;

(ड) धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन वह समय, जिसके भीतर और वह प्ररूप तथा रीति, जिसमें आयोग द्वारा रिपोर्टें और विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे और किसी ऐसे विषय से संबंधित विशिष्टियां, जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा अपेक्षा की जाए ;

(ढ) धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्ररूप और समय ;

(ण) धारा 57 की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक के अधीन नियोजन को समयपूर्व समाप्त करने के लिए प्रतिकर ;

(त) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना अपेक्षित है ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

55. (1) आयोग इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से सुसंगत विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:--

(क) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन आयोग के सचिव द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कृत्य ;

(ख) धारा 8 की उपधारा (7) के अधीन वह प्रक्रिया, जिसके अनुसार विशेषज्ञों और वृत्तिकों को नियोजित किया जा सकेगा और ऐसे विशेषज्ञों और वृत्तिकों की संख्या ;

(ग) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन आयोग की बैठकों में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत इसकी बैठकों में गणपूर्ति भी है ;

(घ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन होम्योपैथी की शिक्षा में बनाए रखे जाने वाली गुणवत्ता और मानक ;

(ङ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन चिकित्सा संस्थाओं, चिकित्सा अनुसंधानों और चिकित्सा वृत्तिकों को विनियमित करने की रीति ;

(च) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन आयोग, स्वायत बोर्डों और राज्य चिकित्सा परिषदों के कार्यकरण की रीति ;

(छ) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन चिकित्सा सलाहकार परिषद् की बैठकों में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत इसकी बैठकों में गणपूर्ति भी है ;

(ज) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी अन्य भाषाएं, जिसमें पदाभिहित प्राधिकरण राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा और परीक्षा कराए जाने की रीति ;

(झ) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन पदाभिहित प्राधिकरण द्वारा चिकित्सा संस्थाओं में प्रवेश हेतु सामान्य परामर्श आयोजित कराए जाने की रीति ;

(ञ) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी अन्य भाषाएं, जिसमें पदाभिहित प्राधिकरण राष्ट्रीय निकास परीक्षा का आयोजन करेगा और परीक्षा कराए जाने की रीति ;

(ट) धारा 15 की उपधरा (4) के अधीन विदेशी चिकित्सा अर्हता प्राप्त किसी व्यक्ति की राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा उतीर्ण करने की रीति ;

(ठ) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी अन्य भाषाएं, जिसमें पदाभिहित प्राधिकरण स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा और ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश की रीति ;

(ड) धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन पदाभिहित प्राधिकरण द्वारा सभी चिकित्सा संस्थाओं में स्नातकोत्तर स्थानों में प्रवेश हेतु सामान्य परामर्श आयोजित कराए जाने की रीति ;

(ढ) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करने की रीति और वह पदाभिहित प्राधिकरण, जिसके माध्यम से ऐसी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा ;

(ण) धारा 23 के अधीन आयोग द्वारा स्वायत बोर्डों को उपलब्ध कराए जाने वाले विशेषज्ञों, वृत्तिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या और उन्हें उपलब्ध कराए जाने की रीति ;

(त) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति, जिसमें स्वायत बोर्डों के विनिश्चय किए जाएंगे ;

(थ) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन सभी स्तरों पर सक्षमता आधारित सक्रिय पाठ्यचर्या ;

(द) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन होम्योपैथी में स्नातक, स्नातकोत्तर और अति विशिष्ट पाठ्यक्रम प्रदान करने की रीति ;

(ध) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन चिकित्सा संस्थाओं में पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के संचालन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं और मानक ;

(न) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन होम्योपैथी की चिकित्सा संस्थाओं में अवसंरचना, संकाय और शिक्षा तथा अनुसंधान की गुणवता संबंधी मानक और सन्नियम ;

(प) धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन वृत्तिक आचार को विनियमित करने की रीति और चिकित्सा संबंधी नैतिकता का संवर्धन ;

(फ) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन चिकित्सा संस्थाओं के मूल्यांकन और रेटिंग करने की रीति ;

(ब) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन चिकित्सा संस्थाओं के मूल्यांकन और रेटिंग करने के लिए निरीक्षण करने की रीति ;

(भ) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन सभी चिकित्सा संस्थाओं का मूल्यांकन और रेटिंग करने की रीति और उसके लिए स्वतंत्र रेटिंग अभिकरणों को पैनलबद्ध करने की रीति ;

(म) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन चिकित्सा संस्थाओं के मूल्यांकन और रेटिंग को वेबसाइट या पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराए जाने की रीति ;

(य) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन किसी चिकित्सा संस्था द्वारा न्यूनतम अनिवार्य मानकों को बनाए रखने में असफल रहने पर उसके विरुद्ध किए जाने वाले उपाय ;

(यक धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए स्कीम का प्ररूप, उसकी विशिष्टियां, उसके साथ लगाई जाने वाली फीस और स्कीम को प्रस्तुत करने की रीति ;

(यख) धारा 29 की उपधारा (5) के अधीन स्कीम के अनुमोदन के लिए आयोग को अपील करने की रीति ;

(यग) धारा 30 के परंतुक के अधीन ऐसे क्षेत्रों के जिसके संबंध में मानदंड शिथिल किए जा सकेंगे ;

(यघ) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा परिवाद और शिकायतें प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया और किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के विरुद्ध वृतिक या नैतिक कदाचार के लिए राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई करने की रीति ;

(यङ) धारा 30 के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अधीन ऐसे कारण या लोप संबंधी कार्य, जो वृत्तिक या नैतिक कदाचार के समतुल्य है ;

(यच) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय रजिस्टर में अंतर्विष्ट की जाने वाली अन्य विशिष्टियां ;

(यछ) धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय रजिस्टर को बनाए रखने के लिए प्ररूप, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रोनिक प्ररूप भी है और उसे बनाए रखने की रीति ;

(यज) धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन वह रीति, जिसमें किसी नाम या अर्हता को राष्ट्रीय रजिस्टर में जोड़ा जा सकेगा या हटाया जा सकेगा और उन्हें हटाए जाने के लिए आधार ;

(यझ) धारा 32 की उपधारा (3) के अधीन राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में उपाधि, डिप्लोमा या अर्हता की प्रविष्टी करने की रीति ;

(यञ) धारा 33 की उपधारा (1) के तीसरे परंतुक के अधीन वह रीति, जिसमें और वह अवधि, जिसके लिए किसी विदेशी नागरिक को अस्थायी रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात किया जा सकेगा ;

(यट) धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन किसी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा अर्हताओं की सूची तैयार करने और उसे बनाए रखने की रीति ;

(यठ) धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन मान्यता प्रदान करने के आवेदन की समीक्षा करने की रीति ;

(यड) धारा 34 की उपधारा (5) के अधीन मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में आयोग को अपील करने की रीति ;

(यढ) धारा 34 की उपधारा (6) के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए रखी गई सूची में कोई चिकित्सा अर्हता सम्मिलित करने की रीति ;

(यण) धारा 34 की उपधारा (8) के अधीन वह रीति, जिसमें होम्योपैथी बोर्ड उन चिकित्सा अर्हताओं की सूची तैयार करेंगे और बनाए रखेंगे, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यता प्रदान की गई है ;

(यत) धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन वह रीति, जिसमें आयोग उन चिकित्सा अर्हताओं की सूची तैयार करेगा और बनाए रखेगा, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यता प्रदान की गई है ।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

56. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि, यथास्थिति, वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा, तथा नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

57. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

58. (1) उस तारीख से, जिसे केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 इसके द्वारा निरसित किया जाता है और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् विघटित हो जाएगी । 1973 का 59

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसन के होते हुए भी, निम्नलिखित

पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,--

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई किसी बात या किसी कार्रवाई पर ; या

(ख) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर ; या

(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियम के किसी उल्लंघन के संबंध में उपगत किसी शास्ति पर ; या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व या शास्ति के संबंध में किसी कार्यवाही या उपचार पर और ऐसी किसी कार्यवाही या उपचार को इस प्रकार संस्थित किया जा सकेगा, जारी या प्रवृत्त बनाए रखा जा सकेगा या ऐसी शास्ति को इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा, मानो वह अधिनियम निरसित ही न हुआ हो ।

(3) केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् के विघटन पर, उस परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति और सदस्य के रूप में नियुक्त अन्य प्रत्येक व्यक्ति और परिषद् का कोई अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जो ऐसे विघटन से तुरंत पूर्व ऐसा कोई पद धारण कर रहे थे, अपने-अपने पदों को रिक्त कर देंगे और ऐसा अध्यक्ष और अन्य सदस्य, उनकी पदावधि या सेवा की किसी संविदा के समयपूर्व समापन के लिए तीन मास से अनधिक के वेतन और भत्तों के प्रतिकर का दावा करने के लिए हकदार होंगे :

परंतु ऐसा कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् के विघटन से तुरंत पूर्व केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त था, ऐसे विघटन पर, यथास्थिति, अपने मूल काडर, मंत्रालय या विभाग में वापस चला जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसा कोई अधिकारी, विशेषज्ञ, वृत्तिक या अन्य कर्मचारी, जिसे होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् के विघटन से तुरंत पूर्व होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् में नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर नियोजित किया गया था, केन्द्रीय परिषद् का ऐसा अधिकारी, विशेषज्ञ, वृत्तिक या अन्य कर्मचारी नहीं रह जाएगा और वह अपने नियोजन की पदावधि या सेवा की किसी संविदा के समयपूर्व समापन के लिए ऐसे प्रतिकर का दावा करने के लिए हकदार होगा, जो तीन मास के वेतन और भत्तों से कम नहीं होगा, जो विहित किया जाए ।

(4) पूर्वोक्त अधिनियमिती के निरसन के होते हुए भी, भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के अधीन जारी कोई आदेश, जारी की गई कोई व्यवसाय अनुज्ञप्ति, किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण, किसी नई चिकित्सा संस्था को आरंभ करने या नए उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रमों को आरंभ करने या प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने की कोई अनुमति, किसी चिकित्सा अर्हता को प्रदान की गई मान्यता, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को प्रवर्तन में बनी हुई है, उनके अवसान की तारीख तक, सभी प्रयोजनों के लिए, प्रवर्तन में इस प्रकार बनी रहेंगी मानों उन्हें इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन जारी या मंजूर किया गया था ।

1973 का 59

संक्रमणकालीन उपबंध ।

59. (1) आयोग, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् का, जिसके अंतर्गत उसके समनुषंगी या उसके स्वामित्व वाले न्यास भी है, हक में उत्तरवर्ती होगा और केंद्रीय होम्योपैथी

परिषद् की सभी आस्तियों और दायित्वों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे आयोग को अंतरित हो गए हैं ।

(2) केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1973 के निरसन के होते हुए भी, 1973 का 59
केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1970 और तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन चिकित्सा मानक, अपेक्षाएं और अन्य उपबंध तब तक प्रवर्तन और प्रचालन में बने रहेंगे, जब तक कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन नए मानक या अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट न कर दी जाएं :

परंतु निरसनाधीन अधिनियमिती और तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन बनाए गए चिकित्सा मानकों और अपेक्षाओं के संबंध में की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई को इस अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन किया गया समझा जाएगा और वे तदनुसार तब तक प्रवर्तन में बनी रहेंगी, जब तक उन्हें इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई द्वारा अधिक्रांत न कर दिया जाए ।

(3) केंद्रीय सरकार ऐसे समुचित उपाय करेगी, जो विघटित चिकित्सा केंद्रीय परिषद् के, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए तत्समान नए आयोग को सुचारू हस्तांतरण के लिए आवश्यक हों ।

MGIPMRND—6158RS(CRC)—19-3-2020.